मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 118 / 52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल, दिनांक 02/02/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल.

विषय :- निर्माण कार्यों के भुगतान की प्रक्रिया ।

राज्य के वित्त लेखों आदि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित निर्माण योजनाओं के लिये बजट में प्रावधानित राशि, वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग द्वारा आहरित कर **डिपाजिट शीर्ष** (8443 - सिविल जमा, 108 - लोक निर्माण जमा) में जमा करा दी जाती है। विभागों द्वारा अपनाई जा रही यह प्रक्रिया नियमों से समर्थित नहीं है, साथ ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के अनुरुप भी नहीं है। लेखों से यह भी परिलक्षित है कि उपर्युक्त अनुसार **डिपाजिट शीर्ष** में जमा राशि में से विचारयोग्य राशि दीर्घावधि तक अन्यान्य कारणों से अप्रयुक्त अवस्था में भी है।

2/ अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष (दिनांक 01/04/2013) से निर्माण कार्यों हेतु बजट में प्रावधानित राशि के आहरण एवं संवितरण के लिये निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी : -

(अ) बजट प्रावधान -

विभाग की आयोजना सीमा व सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदित निर्माण कार्यों के लिये विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) के अन्तर्गत उपयुक्त बजट शीर्ष में बजट प्रावधान कराया जाए।

(ब) निर्माण एजेन्सी का निर्धारण -

निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति निर्माण एजेन्सी (जो कि सामान्यतः लोक निर्माण विभाग होगा) को निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं प्राथमिकता को स्पष्ट करते हुये भेजी जाए। निर्माण विभाग के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया जाये जिसमें निर्माण एजेन्सी से निर्माण कार्य की पूर्णता एवं निर्माण कार्य की सहमति की शर्तों का समावेश हो।

(स) बजट प्रावधान का आहरण -

निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर देयता निर्मित होने पर निर्माण एजेन्सी के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (कार्यपालन यंत्री) द्वारा संबंधित विभाग के बजट शीर्ष में प्रावधानित राशि से राशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जाएगा। इस हेतु विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी, निर्माण एजेन्सी के बजट नियंत्रण अधिकारी, (प्रमुख अभियंता) को बजट पुनरावण्टन (BCO to BCO reallocation) के द्वारा उपलब्ध कराऐंगे। निर्माण एजेन्सी के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी इस बजट प्रावधान के विरुद्ध आहरण कर सकेंगे। कोष एवं लेखा की बजट पुनरावण्टन तथा

आहरण प्रणाली में इस रीति से आहरण की सुविधा उपलब्ध है। इस आहरण प्रक्रिया के परिणामस्वरुप संचित निधि की राशि को लोक लेखा निधि में जमा करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी तथा बजट में उपलब्ध राशि का बजटीय प्रक्रिया अनुसार उपयोग भी सुनिश्चित होगा।

(द) देय राशि का भुगतान -

निर्माण कार्य की देय राशि का ठेकेदार / प्रदायकर्ता को उनके कोर बैंकिंग बैंक खाते में कोषालय इलेक्ट्रानिक प्रणाली (e-payment) से भुगतान किया जायेगा।

(ई) उपरवर्णित प्रक्रिया का चरणवार कार्य का पत्रक कार्य सुविधा की दृष्टि से संलग्न है।

3/ <u>डिपाजिट शीर्ष में जमा राशि के लिये कार्रवाई</u>

शीर्ष 8443 - सिविल जमा, 108 - लोक निर्माण जमा में वर्तमान में जमा राशि के लिये संबंधित विभाग निम्नांकित कार्रवाई करें : -

(अ) अप्रारंभ तथा प्रारंभ न होने वाले निर्माण कार्य -

ऐसे निर्माण कार्यों की लोक लेखा निधि (**डिपाजिट शीर्ष**) में जमा राशि जिनका निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है एवं निर्माण भी नहीं होना है, उनकी प्रशासकीय स्वीकृतियां निरस्त करने के सुस्पष्ट एवं स्वयंपूर्ण आदेश संबंधित प्रशासकीय विभाग अथवा जिस प्राधिकारी (यथा कलेक्टर) द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी उस प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाये। ऐसे आदेशों में निहित राशि को संबंधित निर्माण विभाग के कार्य पालन यंत्री द्वारा लोक लेखा निधि के जमा शीर्ष (8443-108) को राशि विकलित (डेबिट) कर जिस आहरण अधिकारी द्वारा राशि, कार्य हेतु चालान द्वारा जमा कराई गई है उस प्राधिकारी के लिये धनादेश जारी कर तद्नुसार लेखों में प्रविष्टि करेगा। धनादेश प्राप्त होने पर, विभाग के आहरण अधिकारी द्वारा धनादेश को चालान द्वारा संचित निधि के जमा शीर्ष (0075 - विविध सामान्य सेवाएं, 800 - अन्य प्राप्तियां) में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा। सुविधा के लिये उदाहरण सलग्न है।

(ब) अधूरे निर्माण कार्य जिनमें अब निर्माण नही होना है -

ऐसे निर्माण कार्य जिनके लिये राशि **डिपाजिट शीर्ष** में जमा करा दी गई है एवं निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात अन्यान्य कारणों से उसे अधूरा ही छोड जाने का प्रशासकीय निर्णय लिया जा चुका है, की शेष राशि के लिये उपर्युक्त (अ) अनुसार संबंधित विभाग कार्रवाई करें। अधूरे निर्माण कार्यों में व्यय राशि के लिये बुक ऑफ फायनेन्शियल पॉवर, 2012 भाग-1 के सेक्शन IV मद 4.7 अनुसार अपलेखन की कार्रवाई भी साथ-साथ अनिवार्य रुप से की जाए।

(स) प्रगतिरत निर्माण कार्य -

ऐसे निर्माण कार्य जो कि प्रगतिरत है एवं जिनके लिये **डिपाजिट शीर्ष** में राशि जमा कराई जा चुकी है, में अब और राशि जमा नहीं कराई जाए। उपर्युक्त अनुसार जमा राशि

के पूर्णतया उपयोग उपरांत निर्माण कार्य के लिये आवश्यकतानुसार राशि का बजट प्रावधान, आहरण एवं भुगतान उपर्युक्त पैरा 2 अनुसार किया जायेगा।

4/ उपर्युक्त पैरा 2 (स) में वर्णित प्रक्रिया के परिणामस्वरुप यदि बजट में प्रावधानित राशि का उपयोग संबंधित वित्तीय वर्ष में नहीं हो सका एवं राशि व्यपगत हो गई है तब विभाग निर्माण कार्य की प्रगति, आवश्यकता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में आवश्यक बजट प्रावधान करा सकेगा।

5/ राज्य शासन से बाहर अन्य किसी स्वायत्तशासी संस्था / सरकार / अशासकीय संस्थाओं / स्थानीय संस्थाओं आदि के लिये डिपाजिट की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

(अजय नाथ) 4.2.13
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 119 /52/2013/डी.एम.सी./चार भोपाल दिनांक 02/02/2013

प्रतिलिपि : -

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हक) प्रथम, मध्य प्रदेश ग्वालियर, को सूचनार्थ।

(2) कलेक्टर (समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अजय नाथ) 4.2.13
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल